UPSI050006912022

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) सीतापुर

प्रकीर्ण दीवानी वाद सं0 91/2022

इब्राहिम बनाम श्रीमती हमीदा आदि

20.1.2023

पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुयी।

मेरे द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि वादी द्वारा वर्तमान वाद दि0 2.11.2022 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व्यादेश तथा घोषणात्मक व्यादेश के अनुतोष हेतु योजित किया गया था। मुंसरिम द्वारा वादी के वादपत्र पर इस आशय की आपत्ति अपनी आख्या में लगायी गयी थी कि उपरोक्त वाद में सरकार को पक्षकार बनाया गया है तथा नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0 दि0 28.10.22 को भेजी गयी है। मुंसरिम की आख्या के आलोक में वादपत्र तथा उसके साथ संलग्न अन्य प्रपत्रों के परिशीलन के पश्चात वाद को प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज किया गया था तथा वाद की पोषणीयता पर सुनवायी हेतु पत्रावली नियत की गयी थी। विगत तिथि पर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि वाद पोषणीय है क्योंकि उनके द्वारा धारा 80 सी0पी0सी0 का अनुपालन किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की मौखिक बहस के आलोक में पत्रावली के परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 6 तथा 7 के रूप में श्रीमान कलेक्टर महोदय जनपद सीतापुर, यू0पी0 तथा श्रीमान भूमि प्रबन्धक समिति अध्यक्ष (प्रधान) नवीनगर परगना व तहसील लहरपुर जिला सीतापुर को पक्षकार बनाया गया है तथा समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध अनुतोष की याचना की गयी है।

धारा 80 सी0पी0सी0 के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय किसी अन्य राज्य सरकार के विरूद्ध वाद की दशा में उस जिले के कलेक्टर को नोटिस प्रेषित की जायेगी तथा पक्षकार के रूप में राज्य का नाम होगा। वादी के वादपत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि उसके द्वारा यह वाद उ0प्र0राज्य के विरूद्ध चाहा गया है अथवा कलेक्टर के विरूद्ध। वादी द्वारा अपने वादपत्र के साथ सूची 9ग1 से धारा 80 सी0पी0सी0 एवं धारा 106 पंचायत राज अधिनियम की नोटिस दि0 28.10.2022 की छायाप्रति व रजिस्ट्री रसीद दाखिल की गयी है जिसके अवलोकन से यह विदित होता है कि उक्त नोटिस धारा 80 सी0पी0सी0 के अनुसार नहीं है। साथ ही धारा 80 सी0पी0सी0 की नोटिस कलेक्टर को भेजी जानी चाहिये किन्तु वह जिलाधिकारी को प्रेषित की गयी है। अतः ऐसी स्थिति में स्पष्ट रूप से वादी का वाद धारा 80 सी0पी0सी0 के अनुपालन के पश्चात प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप उक्त वाद मेरे मत में विधिक रूप से पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद धारा 80 सी0पी0सी0 के अनुपालन में न होने के कारण विधिक रूप से पोषणीय न होने के आधार पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद सिंह यादव)
सिविल जज (सी0डि0)
सीतापुर
JO CODE-UP01977

दिनांक–20.1.2023

प्रशान्त/

Digitally signed by PRAMOD SINGH YADAV
Date: 2023.01.21 10:58:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur